विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 13 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 136.23 करोड़ अन्तर्निहित है, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

भाग-1 : राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

सामान्य

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार संव्यवहारों की नमूना जांच एवं महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर, सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात् लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन विभागों को जारी 3,644 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 17,119 अनुच्छेद अन्तर्निहित ₹ 24,383.73 करोड़ सितम्बर 2020 के अन्त में बकाया रहे।

(अनुच्छेद 1.5)

प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

इस भाग में सात अनुच्छेद हैं। प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर कुल ₹ 36.38 करोड़ की वसूली की गयी।

(अनुच्छेद 1.7)

वाहनों पर कर

कार्यालय द्वारा परिवहन विभाग की 16 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पाये गये मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

वाहन स्वामियों द्वारा 334 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर, अधिभार और शास्ति राशि ₹ 4.03 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग द्वारा देय कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 2.4)

एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की वसूली

249 परिवहन वाहन स्वामियों द्वारा एकमुश्त कर, अधिभार और शास्ति राशि ₹ 2.17 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग द्वारा देय कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(अनुच्छेद 2.5)

खनन प्राप्तियां

कार्यालय द्वारा खान एवं भू-विज्ञान विभाग की 43 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पाये गये मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं:

अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत की अवसूली

विभाग इस जानकारी के उपरांत भी कि अल्पावधि अनुमति-पत्र धारक ने अनुमत्य मात्रा के अलावा 51,125 मैट्रिक टन खनिज साधारण पत्थर का उपयोग किया था, खनिज की कीमत ₹ 86.91 लाख वसूल करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 2.9)

राजकीय राजस्व की अवसूली

ठेका राशि तथा विलम्बित भुगतान पर ब्याज की पूर्ण वसूली सुनिश्चित किये बिना विभाग ने बैंक गारंटी तथा प्रतिभूति जमा वापिस लौटायी क्योंकि मांग एवं संग्रहण पंजिका संधारित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.10)

वन विभाग

पौधों के अनुरक्षण पर परिहार्य व्यय

वास्तविक आवश्यकता के उचित सर्वेक्षण के बिना पौध/पौधे उगाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान पौधों के अनुरक्षण पर ₹ 1.12 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.1)

सार्वजनिक निर्माण विभाग

केंद्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत अनियमित व्यय

केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना (i) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव; (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास; (iii) अन्य राज्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण जिसके अंतर्गत अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कें भी है; (iv) पुलों के माध्यम से रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़क का सन्निर्माण और ऐसी रेल-सड़क पारपथ पर, जहाँ कोई व्यक्ति तैनात

नहीं है, सुरक्षा संकर्म का परिनिर्माण; और (v) ऐसी परियोजनाएँ जो निर्धारित की जा सकती हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि मार्गदर्शिका के अनुसार, अधिक/अतिरिक्त मदों के लिए निष्पादन से पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की स्वीकृति ली जानी थी। लोक निर्माण विभाग के तीन खण्ड़ों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लिए और बिना मोर्थ के अनुमोदन के आधिक्य/अतिरिक्त मदों पर ₹ 11.06 करोड़ खर्च किये। यह केन्द्रीय सड़क निधि के लिए निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित करने में विभागीय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

(अनुच्छेद 3.2)

उद्योग विभाग

निर्णय की शिथिलता के कारण निधियों का अवरोधन

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये फ्लैट के निर्माण के विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने में सरकार एवं नगर विकास न्यास, भिवाडी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.09 करोड़ का अवरोधन हुआ जिसने लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ से वंचित किया।

(अनुच्छेद 3.3)

भाग-2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

इस भाग में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के व्यवहारों की नमूना जांच में उजागर हुए छः प्रारूप अनुच्छेदों के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधि पर विषय-परक लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड की निर्माण गतिविधि पर 2016-17 से 2019-20 की अवधि हेतु एक विषय-परक लेखापरीक्षा की गई थी। पाये गए प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैः

उद्देश्यों की प्राप्ति

- कम्पनी की स्थापना का उद्देश्य निर्माण गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करना एवं इस प्रकार सरकार के वित्तीय भार को कम करना था। यह अप्राप्य रहा क्योंकि निर्माण संविदाओं में कम्पनी की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी यथा राज्य में निर्माण की गई सड़कों एवं पुलों में मात्र 11.36 प्रतिशत थी।

उन्नत तकनीकों और सतत प्रथाओं को अपनाना

- कम्पनी ने तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण के अनुकूल एवं सतत प्रथाओं के अन्वेषण/अपनाए जाने हेतु एक तंत्र विकसित नहीं किया था एवं इस प्रकार न केवल सड़कों के निर्माण/मरम्मत लागत को नियंत्रित करने का अवसर खो दिया अपितु प्लास्टिक कचरा, जो पर्यावरण हेतु घातक है, के निस्तारण में भी विफल रही थी।

परियोजनाओं का निष्पादन

- कम्पनी प्राप्त की गई परियोजनाओं का निष्पादन एमओए/कार्यादेशों में उल्लिखित अनुसूचियों के अनुसार, करने में तत्पर एवं प्रभावी नहीं थी क्योंकि परियोजनाओं को प्रदान किए जाने में (15 माह से 33 माह तक) एवं निष्पादित किए जाने में (पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के 54 प्रतिशत में 43 माह तक) विलंब के उदाहरण थे। साथ ही, इसने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समयावृद्धि को टालने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए विलंब के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था।

आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना

- कंपनी ने सीमेण्ट के प्रापण एवं आपूर्ति का आंकलन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों का रखरखाब नहीं किया था। साथ ही, कंपनी दर संविदा से संबंधित आरटीपीपी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना एवं इसके वित्तीय हित की सुरक्षा हेतु सीमेण्ट की संविदागत दरों में नियमित विचलनो को नियंत्रित करने में भी विफल रही थी।

नई प्रापण की गई मशीनों का उपयोग

- ₹ 1.88 करोड़ मूल्य के छः डम्पर्स/टिप्पर्स एवं दो डीजी सेट क्रय किए जाने से क्रमशः 21 माह एवं 12 माह तक उपयोग नहीं किए गये थे।

वित्तीय प्रबंधन

- कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ नहीं था क्योंकि उपरिव्यय प्रभारित करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई थी। कार्यों का निष्पादन प्राप्त निधियों के स्तर तक सीमित किए जाने के राजकीय उपक्रम समिति के निर्देशों को भी सुनिश्चित नहीं किया गया था क्योंकि सात प्रकरणों में कंपनी ने उपलब्ध निधियों के आधिक्य में ₹ 23.47 करोड़ जारी कर दिए थे। साथ ही, कार्यादेशों के नियमों व शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति का आरोपण एवं ग्राहकों से बकाया देयताओं (31 मार्च 2021 को ₹ 87.56 करोड़) की वसूली भी सुनिश्चित नहीं की गई थी।

गुणवत्ता नियंत्रण का प्रबंधन

- लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि इकाई कार्यालय गुणवत्ता नियंत्रण में विफल रहे थे क्योंकि सड़क के निर्माण में बिटुमिन अवयव हेतु मोर्थ/कंपनी के निर्धारित विनिर्देशों की अनुपालना 18 सड़क कार्यों के संबंध में नहीं की गई थी।
- साथ ही, क्यूसी समूह द्वारा किए गए गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षणों की प्रभावोत्पादिकता एवं प्रभावशीलता की निगरानी नहीं की गई थी।

निरीक्षण एवं निगरानी

- कार्यों की प्रगति की समयबद्ध तरीके से निगरानी किए जाने एवं व्यवधानों को दूर करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाने के लिए प्रणाली सुनिश्चित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

परिहार्य ब्याज का भुगतान ₹ 6.24 करोड़

कंपनी ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने में विलंब किया जिसके कारण ₹ 6.24 करोड़ के परिहार्य ब्याज की शास्ति का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.2)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

पर्याप्त जांच एवं नियंत्रण के अभाव में ₹ 1.90 करोड़ के निष्प्रयोज्य भाड़े की अल्प प्राप्ति

सूरतगढ थर्मल पावर स्टेशन एवं कोटा थर्मल पावर स्टेशन ने पर्याप्त जांच व नियंत्रण स्थापित नहीं किए थे एवं परिणामस्वरूप, एसईसीएल द्वारा 2017-20 हेतु पुनर्भुगतान किए गए निष्प्रयोज्य भाड़े में माल और सेवा को समायोजित नहीं किए जाने की पहचान करने में विफल रहे। उचित आंतरिक जाँच के अभाव में कम्पनी ने ₹1.90 करोड़ की न्यूनतम हानि वहन की।

(अनुच्छेद 2.3)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

प्रशासनिक अनुमोदन एवं सरकारी गारंटी प्राप्त किए जाने की अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताएं ₹ 4,121 करोड़ मूल्य के ऋणों को प्राप्त किए जाने हेतु अनदेखी की गई थी

तीनो डिस्कॉम्स ने राज्य सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन एवं ऋणों पर गारंटी की व्यवस्था की अनिवार्य पूर्व आवश्यकताओं का पालन किए बिना ₹ 4121 करोड़ मूल्य के ऋण प्राप्त किये। डिस्कॉम्स के अनियमित वित्तीय व्यवहार ने उन्हें ₹ 9.36 करोड़ की ब्याज छूट से वंचित कर

दिया। डिस्कॉम्स ने उस अवधि के लिए भी गारंटी कमीशन के भुगतान हेतु ₹ 35.13 करोड़ व्यय किये जिसमें राज्य सरकार द्वारा विस्तारित गारंटियां वैध नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.4)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

व्यावसायिक नियमों की मैपिंग नहीं किए जाने के कारण शास्ति/शुल्क का अल्प-आरोपण

बिलिंग-प्रणाली में व्यावसायिक नियमों/सूत्र की मैपिंग नहीं करना तथा विद्युत के अधिक आहरण एवं शास्ति राशि की गणना मानवीय रूप से किए जाने की परिणिति आधिक्य क्षमता उपयोग हेतु ₹ 2.80 करोड़ के शास्ति/शुल्क के अल्प-आरोपण के रूप में हुई।

(अनुच्छेद 2.5)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

वितरण फ्रैंचाइजी व्यवस्था

कम्पनी द्वारा वितरण फ्रैंचाइजी व्यवस्था के कार्यान्वयन में नियोजन एवं निष्पादन दोनों ही चरणों में अनेक कमियाँ पायी गई थी। प्रथमतः, एसटीएफ को प्रस्ताव भेजने से पूर्व उच्च एवं मध्यम हानि के क्षेत्रों को चिन्हित किए जाने हेतु कोई नवीन प्रयास नहीं किया गया था। वितरण फ्रैंचाइजी की नियुक्ति तीन चिन्हित शहरों/क्षेत्रों में से मात्र दो शहरों/क्षेत्रों के लिए ही,जो कि एसटीएफ द्वारा परिकल्पित कुल विद्युत आहरण के 25 प्रतिशत के समक्ष मात्र 5.39 प्रतिशत को ही समाविष्ट करते हुए, की जा सकी। चेक मीटरों एवं प्रधान मीटरों को स्थापित किए जाने, एबीआर की गणना हेतु फॉर्मूला, स्वतंत्र लेखापरीक्षक को सूचना/आँकड़े प्रस्तुत करने से संबंधित डीएफए के वाक्यांश त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण थे, जिसके कारण ₹ 28.25 करोड़ मूल्य की देयताओं की वसूली नही हो सकी। साथ ही, डीएफए के कई प्रावधानों की अनुपालना नहीं किए जाना भी पाया गया था यथा डीएफ क्षेत्रों में अनाद्यिकृत पूंजीगत व्यय, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति में विलंब, गंभीर चूक के नोटिस जारी नहीं करना। कम्पनी ने दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिस्थापन नहीं करने के पेटे ₹ 1.23 करोड़ की छूट के अनुचित समायोजन भी स्वीकार किए। कम्पनी सारभूत बकाया, जो कि सुपुर्दगी के समय विद्यमान थे, के साथ-साथ सरकारी संस्थानों से संबंधित वर्तमान बकाया (₹ 124.37 करोड़) राशि की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी। साथ ही, कम्पनी ने वितरण फ्रैंचाइजी को मार्च 2019 तक उपार्जित देयता हेतु ₹ 15.48 करोड़ का क्रेडिट जारी करते हुए आगत विद्युत देयता को समायोजित किया। लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि लेखापरीक्षा में उजागर की गई अनेक कमियों के समाधान करने हेतु, कम्पनी को अपनी प्रक्रियाओं को गति देने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 2.6)